

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(6)एमई/ग्रुप-1/88

जयपुर, दिनांक : 11 DEC 2017

आदेश

डॉ. मुकेश राघव, आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर (जन्म तिथि दिनांक 28.08.1956) को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.08.2018 (मध्याह्न पश्चात) से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ. मुकेश राघव, आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आदेश से



(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, जोधपुर।
5. डॉ. मुकेश राघव, आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव